भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381

उत्तर देने की तारीख 13.02.2025

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय

1381. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में दस जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को स्वीकृति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में जनजातीय लोगों के वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्यों को मान्यता देने के लिए स्थापित/स्थापित किए जाने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गा दास उइके)

(क) जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, आंध्र प्रदेश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले और राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करने वाले जनजातीय लोगों के वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्यों को मान्यता देने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत, मंत्रालय राज्य को अनुदान प्रदान करता है। राज्य को भूमि उपलब्ध कराने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और निर्माण एवं क्यूरेशन एजेंसी के माध्यम से परियोजना को क्रियान्वित (लागू) करने की आवश्यकता होती है। अब तक (आज की तारीख तक), मंत्रालय ने 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों के निर्माण हेतु 11 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। स्वीकृत संग्रहालयों, संग्रहालय का स्थान, जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है।

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**राज्य**	**स्थान**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**	**जनजातीय मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपए में)**
1	झारखंड	रांची	34.22	25.00
2	गुजरात	राजपिपला	137.01	50.00
3	आंध्र प्रदेश	लम्बासिंगी	45.00	25.00
4	छत्तीसगढ़	रायपुर	45.66	35.00
5	केरल	वायनाड	16.16	15.00
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	38.26	25.69
7	तेलंगाना	हैदराबाद	34.00	25.00
8	मणिपुर	तामेंगलांग	51.38	15.00
9.	मिजोरम	केल्सिह	18.00	18.00
10.	गोवा	पोंडा	30.00	15.00

इन 10 संग्रहालयों के अलावा, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को समर्पित जबलपुर संग्रहालय को दो योजनाओं अर्थात राज्य को अनुदान और टीआरआई को सहायता के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और इसके लिए 14.39 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

रांची, झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर, 2021 को किया गया और बादल भोई राज्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, छिंदवाड़ा और राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जबलपुर का उद्घाटन 15 नवंबर, 2024 को किया गया।

(ग) आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापल्ली मंडल के ताजंगी में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को स्वीकृति दी गई। अनुमानित बजट 45.00 करोड़ रुपये है (भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से 'टीआरआई को सहायता' योजना के तहत 25.00 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश सरकार से 20.00 करोड़ रुपये)।

अनुलग्नक - I

दिनांक 13.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानियों के नाम	उस गांव का नाम जिसमें जन्म हुआ	गांव/स्थान का नाम जहां मृत्यु हुई	संघर्ष आंदोलन जिसमें जुड़े	स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान
1	अल्लूरी सीताराम राजू पुत्र वेंकट राम राजू	पंडरंगी विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभमंडल में एक गांव है	विशाखापत्तनम जिले में मम्पा	रम्पा विद्रोह	1922 का रम्पा विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसीडेंसी के गोदावरी एजेंसी में उनके नेतृत्व में एक जनजातीय विद्रोह था। यह अगस्त 1922 में शुरू हुआ और मई 1924 में उनके आत्मसमर्पण और उनकी हत्या तक गुरिल्ला युद्ध का रूप ले लिया।
2	गम गनतम डोरा पुत्र बोग्गू डोरा	बट्टापानुकु गांव, चिंथापल्ली तालुका के मुनसाबा - लंका वीधि, विशाखापत्तनम जिला	कृष्णादेवी पेटा मंडल, विशाखापत्तनम जिला	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	स्वर्गीय श्री अल्लूरी सीताराम राजू के प्रमुख सहयोगी, रम्पा पिथुरी के नायक 1921-24 में विशाखापत्तनम और गोदावरी जिलों की पहाड़ी जनजातियों के विद्रोह। उन्होंने कृष्णा देवी पेटा, अडतीगला और अन्नावरम के पुलिस स्टेशनों पर हमला करने और उनके हमले अभियानों के लिए गोला-बारूद खरीदने में योगदान दिया। स्वर्गीय श्री अल्लूरी सीताराम राजू के प्रमुख सहयोगी, रम्पा

					पिथुरी के नायक 1921-24 में विशाखापत्तनम और गोदावरी जिलों की पहाड़ी जनजातियों के विद्रोह। उन्होंने कृष्णा देवी पेटा, अडतीगला और अन्नावरम के पुलिस स्टेशनों पर हमला करने और उनके हमले अभियानों के लिए गोला-बारूद खरीदने में योगदान दिया।
3	गम मल्लू डोरा पुत्र बोग्गू डोरा	बट्टापानुकु गांव, चिंथापल्ली तालुका के मुनसाबा - लंका वीधि, विशाखापत्तनम जिला	, कृष्णादेवी पेटा मंडल, विशाखापत्तनम जिला	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	वह राजू का बायाँ हाथ था स्वर्गीय श्री अल्लूरी सीताराम राजू के प्रमुख सहयोगी, रम्पा पिथुरी के नायक - 1921-24 में विशाखापत्तनम और गोदावरी जिलों की पहाड़ी जनजातियों का विद्रोह, जो गांधीजी के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ समन्वयित हुआ था; उन्होंने कृष्णा देवी पेटा, अडटेगला और अन्नावरम के पुलिस स्टेशनों पर हमला करने और उनके हमले के अभियानों के लिए गोला-बारूद खरीदने में योगदान दिया। मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया; 13-1/2 साल की सज़ा काटी और विशाखापत्तनम में 3-1/2 साल की नज़रबंदी की अवधि काटी
4	कांकीपति येन्दुपादल पुत्र गुरवैय्या	पेद्दावलसा विशाखापत्तनम जिला	17-09-1923 को नादिमपालेम में	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	

			पकड़ा गया और 17-9-1923 को मौत की सजा सुनाई गई, बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया		
5	कनकीपति कोठा दास बलैया पुत्र पतालू	लक्कवारापुकोटा (एल. कोटा)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
6	कांकीपति येन्दु पदल, पुत्र सरभनानपादल	पेड्डावलसा	वह 13 ½ साल तक सेलुलर जेल में रहे और 3 ½ साल तक नजरबंद रहे	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
7	पोथुनी मलैया पुत्र लक्ष्मय्य्या	चपथिपालेम		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
8	संकोजी मुक्कडू मल्लैया पुत्र	सिंगण्णपल्लि		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	रम्पा विद्रोह में श्री अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी। उनका नाम 01-06-1923 को सरकारी राजपत्र में मान्यम विप्लवकारुलु के रूप में शामिल किया गया
9	गोकिरी येरेसु पुत्र लक्ष्मुडु	विशाखापत्तनम जिले के गनगर्ला पालेम, कोय्युरुमंडल	गनगरला पालेम के गांवों द्वारा कब्जा कर लिया गया	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	रम्पा विद्रोह में श्री अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी। उनका नाम 01-06-1923 को सरकारी राजपत्र में मान्यम विप्लवकारुलु के रूप में शामिल किया गया। वह महान धनुर्धरों में से एक है
10	बोनकुला मोदीगाडु पुत्र बुद्दुडु	चिंथलापुडी, विशाखापत्तनम जिला	कैप्चरडैट कोंथलम	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	राजू के अनुयायियों में से एक

11	मुत्तदु बुद्दय्यादोरा पुत्र बोडिडोरा	विशाखापत्तनम जिले का कोय्युरू		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
12	सुंकारा कोंडेय ए पुत्र वीरय्या	विशाखापत्तनम जिले के गनगर्ला पालेम, कोय्युरुमंडल		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
13	बोनंगी पोथाराजू पुत्र चिन्नय्या	सरभन्नापालेम, कोय्युरू, विशाखापत्तनम जिला।		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
14	मोत्तदाम वीरय्या डोरा पुत्र सोलोबिंदोरा	गुडेम चिन्तपल्ली		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	राजावोमिंगी में सैनिकों द्वारा रिहा किया गया
15	जीर्था गंटय्या पुत्र भीमुड्डु	गुडेम कोठा वीधी		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
16	पुजारी बंगरैया पुत्र बलय्या डोरा	पुजारी पाकलू, गुडेम, जी.के.वीधि (एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
17	कांकीपति नादिमपदल पुत्र मेलुपदल	पेड्डावलासा, कोय्युरु(एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
18	तिरुवनगिरि गोपन्ना पुत्र शेषय्या	मकावरम, कोय्युरु(एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
19	मोत्तादाम लिंगन्नाडोरा पुत्र सरभन्नदोरा	अन्नवरम	रम्पा विद्रोह में भाग लिया	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
20	गुडी येंडय्या	भोजमपालेम	रम्पा विद्रोह में भाग लिया	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
21	बेदला बलय्या	गुडेम		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
22	बेदला कोथन्ना	गुडेम		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
23	मोट्टादम बोडिडुरा	डोकुलुरू		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
24	गोकिरीवलसय्या	मकावरम, कोय्युरु(एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
25	बोनकुला गुन्नाडू	विशाखापत्तनम जिले के सरभन्नापालेम, कोय्युरू (एम)।		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	

26	कनकीपाटी कट्टुपदल	थिरुमामिडी		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
27	सगीना कोथन्ना पडल पुत्र वीरन्नपादल	अंतदा, जी.के. वीडी (एम) विशाखापत्तनम जिला		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
28	थग्गी वीरय्याडोरा पुत्र वीरय्यादोरा	बंदा बयालु, चिंतापल्ली (एम) विशाखापत्तनम जिला	13/5/1925 को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	15/8/1972 को भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती की पूर्व संध्या पर भारत सरकार से ताम्र पत्र प्राप्त हुआ।
29	कोर्राबू कोटाय्या, पुत्र पोन्नप्पा नायडू	चिंथपल्ली मंडल विशाखापत्तनम जिला	रम्पा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	धारा 121 आईपीसी के तहत दोषी करार, 13/5/1925 को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई और 20-11-1928 को अंडमान निर्वासित होने से पहले राजमुंदरी जेल, बोर्स्टल स्कूल, तंजावुर और मद्रास जेल में कैद किया गया।
30	बोनंगी पांडु पडल पुत्र अंदय्या	गोंडीपकालू, विशाखापत्तनम जिले के चिंतापल्ले मंडल का गांव	ब्रिचगंज गांव, पोर्ट ब्लेयर	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	विशाखापत्तनम जिले के एजेंसी क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा छेड़े गए 1922-24 के रम्पा विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। ब्रिटिश पुलिस, सरकार के साथ कई झड़पों में भागीदार। अपनी गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने के लिए 100/- रुपये का इनाम घोषित किया, मई 1924 में गिरफ्तार। धारा 121 एल.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया गया और 13.05.1925 को

					आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, राजमुंदरी, कन्नानोर, तिरुचिरापल्ली, पालमूथा, मद्रास में प्रताड़ित किया गया और अंततः 25.04.1926 को अंडमान की सेलुलर जेल में निर्वासित कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर से ब्रिच गंज गांव में बस गए।
31	गोलिविल्ली सन्यासय्या पुत्र चितुकुलय्या	मलमकवरम, चिंतापल्ली (टी), विशाखापत्तनम जिला		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	
32	कुंचेट्टी सन्यासी पुत्र बबय्या	विशाखापत्तनम जिले के भोदिरल्लू, नरसीपत्तनम तालुक	10-5-1924 को मलमकरम और चिंतापल्ली घाट के बीच कब्जा कर लिया गया	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	धारा 121 आईपीसी के तहत दोषी करार, 13/5/1925 को आजीवन कारावास की सजा - राजमुंदरी और दंडात्मक जेल मद्रास में कैद और अंततः अंडमान ले जाया गया।
33	अंबाती लक्ष्मैया पुत्र येर्रय्या	कोय्युरु, चिंतापल्ली तालुका	उन्हें अंडमान में कैद किया गया था और संभवतः जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। धारा 121 आईपीसी के	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में	रामाराजू के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया

			तहत दोषी करार दिया गया, सजा सुनाई गई और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई	कैद कर दिया गया था।	
34	कोराबुपोट्टय्या, पुत्र थविति नायडू	चिंतापल्ली तालुक, विशाखापत्तनम जिला	उन्हें कैद कर लिया गया और चिंतलई में उनकी मृत्यु हो गई	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया
35	सुंकरी पोट्टय्या पुत्र कोटय्या	तेगलामेट्टा, चिंतापल्ली (टी), विशाखापत्तनम जिला		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	राजमुंदरी, पेनिटेंटरी जेल मद्रास में कैद।
36	काकुरु लक्ष्मय्या पुत्र सोमय्या	मलमकवरम, चिंतापल्ली (टी), विशाखापत्तनम जिला		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	
37	सेग्गी एरय्या पुत्र गंगाय्या	नादिमपालेम, चिन्तपल्ली (टी)		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के	

				अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	
38	वेजीराजू सत्यनारायण राजू, पुत्र वेंकटनारदन्ता राजू	कुमुदवल्ली, भीमावरम तालुक, पश्चिम गोदावरी जिला	सेलुलर जेल अंडमान	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीताराम राजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	वह एक बहादुर नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किर्राबू कोंडापल्ली में ब्रिटिश सेना पर कई बार हमला किया। 13-5-1925 को राजमुंदरी, तिरुचिरापल्ली और अंत में अंडमान की सजा सुनाई गई।
39	करम तम्मन्ना डोरा	रेकापल्ली, भद्राचलम के पास यह मध्य प्रांत था - यानी मध्य प्रदेश	1880 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया	प्रथम रम्पा विद्रोह (1839 से 48) का नेतृत्व बंदपल्ली के कोया मुत्तदार करम तम्मन्ना डोरा ने किया था।	अंग्रेजों ने मुगलों द्वारा स्थापित मुत्तदार प्रणाली (ग्राम प्रधान) को आगे बढ़ाया तथा मुत्तदारों के ऊपर मुनसबदारों की नियुक्ति करके इसे संशोधित किया। पांच अन्य मुत्तदारों के समर्थन से, तमन्ना डोरा ने 30 लोगों का एक दुर्जेय सशस्त्र समूह बनाया और कई हमलों का नेतृत्व किया। इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक ‘रिबेलियस हिलमेन: द गुडेम-रम्पा राइजिंग 1839-1924’ में बताया है कि तमन्ना डोरा द्वारा किया गया सबसे घातक हमला 1840 में हुआ था, जिसमें उसने एक पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे

					और 20 अन्य घायल हो गए थे। 1848 में उनके रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने तक, अगले आठ वर्षों तक वे पूरे एजेंसी क्षेत्र में नायक बने रहे।
40	मर्री कामय्या (कोंध)	गरुड़पल्ली, हुकुमपेटा मंडल, विशाखापत्तनम		स्वतंत्र क्रांति	मरी कामय्या का जन्म एक धनी किसान परिवार में हुआ था, कामय्या स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए, जिसने एजेंसी क्षेत्र में रफ्तार पकड़ी। सरकार और गिरोह ने मिलकर उनके गृहनगर गरुड़पल्ली को आग लगा दी क्योंकि कामय्या और उनके अनुयायियों, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, को व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया था। कामय्या से संबंधित भूमि, मवेशी और अन्य संपत्ति जब्त कर ली गई और नीलाम कर दी गई। कामय्या, जो तब से छिप गया है, और उसके अनुयायी गुफाओं में छिप गए और आंदोलन को आगे बढ़ाया। कड़ी नजरबंदी का सामना करने के बाद, 360 जनजातीय परिवारों को फिर से एकजुट किया गया और उनके नेतृत्व में गरुड़पल्ली के पास बीटू गुरुवु में रखा गया। गाँव का नाम अब कामय्यापेटा है। हालाँकि, झोपड़ियाँ भी ध्वस्त कर

					दी गईं और लोगों के साथ कामय्या परिवार भी तितर-बितर हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इतने प्रयास किए गए लेकिन कामय्या की गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं मिल पाया। कामय्या को 1940 में वन अधिकारियों, पुलिस और मुत्तदारों द्वारा बड़े पेड़ों को काटने और कांग्रेस की बैठकों और दूर-दूर से आने वाले कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए झोपड़ियाँ बनाने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। रिहा होने के बाद, उनकी हिरासत अवधि बढ़ गई और वे अपने परिवार के साथ छिप गए। जंगल में गुप्त ठिकाने बदलते हुए सात वर्ष बीत गए। 5 मई, 1959 को उनकी मृत्यु हो गई।
41	गरीमेला मंगा राजू	लगराई, राजवोम्मंगीमंडल		लागराई पिटोरू	भूमि अधिकारों और मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन चलाया गया।
42	मेट्टादम वीराईडोरा कोंडा डोरा	लगराई, राजवोम्मंगीमंडल		लागराई पिटोरू	उन्हें मद्रास वन अधिनियम के विरुद्ध राजावोम्मंगी थाने में गिरफ्तार किया गया।
43	द्वारबंदला चंद्रय्या (कोंडा कापू)	रेकापल्ली			विशाखा, खम्मम और पूर्वी गोदावरी - 1890 के समय मद्रास वन अधिनियम के विरुद्ध भूमि अधिकार।

44	कुदुमुला पेद्दा बयाना (पेद्दाबैलोड्डु) पुत्र पपन्ना	करुदापल्ली दोर्नल मंडल, कुरनूल जिला	थुम्मलाबैलु गांव वन क्षेत्र	चेंचू विद्रोह	उन्होंने थुम्माला गांव में मद्रास राज्य में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 25 अप्रैल 1938 को आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी में मारे गए लोगों में बयन्ना (भीमिया) भी शामिल थे।
45	हनुमानथप्पा	कुरनूल जिले के कोट्टापल्ली विलगाए और मंडल	थुम्मलाबैलु गांव वन क्षेत्र	चेंचू विद्रोह	उन्होंने थुम्माला गांव में मद्रास राज्य में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में भाग लिया। मैट्रिक तक शिक्षित एक किसान ने मद्रास राज्य में उत्तरदायी सरकार के लिए लोकप्रिय आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 25 अप्रैल 1938 को नल्लामाला जंगल में आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी में मारे गए लोगों में हनुमंथप्पा भी शामिल थे।

****